न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 76/2020 (2020/00185)

1. श्यामसुन्दर अग्रवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
2. अनुपम अग्रवाल पुत्र राजेन्द्रप्रसाद अग्रवाल
समस्त जाति महाजन निवासीगण केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

----वादीगण

♠ बनाम ♠

1. हनुमान मीणा पुत्र श्रवण जाति मीणा निवासी नाईखेडा तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 188,92ए,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

-:: निर्णय ::-

दिनांक 27/04/2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,92ए,209 के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी मे स्थित है। जिसका जमाबन्दी स.2070-73 के अनुसार निम्न प्रकार है:-

खाता संख्या नया-पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
266-229	1078/310	0.0900	बारानी 1
	1079/302	0.0400	बारानी 1
	1080/933	0.0400	बारानी 1
	1081/309	0.3100	बारानी 1
	कुल किता 4	कुल रकबा 0.4800	

वादीगण की उक्त भूमि राजस्व नक्शे में तरमीम शुदा भूमि है न्यायालय श्रीमान् द्वारा धारा 128 आर.एल.आर एक्ट मुकदमा सं. 338/16 निर्णय दिनांक 25.5.2017 की इजराय सं. 2/2018 की पालना में हल्का गिरदावर व पटवारी द्वारा मोके पर स्थायी पत्थरगढी कर पत्थरगढवाये उस समय उक्त प्रतिवादी व मोजीज गवाहान की उपस्थिति में मोके पर स्थायी पत्थरगढी की गयी। तथा वादीगण ने अपने उक्त खेत मे सीमेन्ट के पीलर लगाकर तारबंदी उसी समय करवा दी। यह कि प्रतिवादी का खेत वादीगण के खेत के लगवा पीछे की और है प्रतिवादी की नियत में खोट है। प्रतिवादी ने मोके पर पटवारी गिरदावर के समक्ष स्थायी पत्थरगढी के चिन्ह गढवाये उसी समय पूर्ण सन्तुष्ठी कर ली लेकिन बाद में अनावश्यक रूप से विवाद करने लगा। प्रतिवादी ने कल दिनांक 26.7.2020 को वादीगण को धमकी दी की व वादीगण के उक्त तारो को व पीलरो को तोड देगा कोर्ट के आदेश को नही मानता ना ही स्थायी पत्थरगढी को मानता है। बल्कि अवैध रूप से वादीगण के उक्त तरमीम शुदा व फसल काश्त शुदा खेत में अवैध रूप से जानवर चराकर नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रहा है। मना करने पर नही मान रहा है अतः दावा करना पड़ा। यह कि प्रतिवादी को ऐसा करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना [illegible] वादीगण को अपूर्तियुक्त व अनिश्चित मापदण्ड वाली क्षति होगी दावे झगडे मुकदमे अनेकानेक [illegible] का सामना करना पड़ेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchol
Date: 2022.05.26 14:53:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

तथा वादीगण को घोर क्षति होगी। यह कि वादीगण का प्राईमा फैसाई केस है। तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है। यह कि वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अव्वल दिनांक 26.7.2020 को जब से प्रतिवादी वादी के उक्त भूमि के उपयोग उपभागे में बांधा देने लगा व धमकीया देने लगा तब उत्पन्न हुआ तब प्रतिदीन उत्पन्न हो रहा है प्रतिवादी को खुद व जरिये उनके मित्र नौकर एजेन्द्र, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे की वाद पत्र पैरा संख्या 1 वर्णित वादीगण की उक्त भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या क्षति कारित नहीं करे ना फसल उपज को नष्ट करे ना तारबंदी को व पीलरों को क्षति ग्रस्त करे और ना ही ऐसा कोई अवैध कृत्य करे। कि बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1से डिक्रि सादिर फरमावे का निवेदन प्रार्थी ने किया है

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहा उनके खिलाफ एक्सपार्टी की जाकर जवाब बंद किया गया। साक्ष्य वादी शपथ पत्र वादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किया जिसे सामिल पत्रावली किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम नाईखेडा तहसील केकडी की जमाबंदी संवत 2070–73 के खाता संख्या 266–229 कुल किता 4, कुल रकबा 0.4800हैक्टर किस्म बारानी 1 का प्रतिवादी संख्या 1 व जरिये उनके मित्र नोकर, एजेन्द्र, वारिसान आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का हकदार है प्रतिवादी बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहा है अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद पत्र पैरा संख्या 1 वर्णित वादीगण की उक्त भूमि के वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा या क्षति कारित नहीं करने तथा फसल काश्त व तारबंदी पीलरों को क्षति ग्रस्त न करने व ऐसा कोई अवैध कृत्य न करने का स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है इस आश्य का डिक्री पर्चा जारी किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.26 14:53:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner